कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश

संख्या-728रा0प्र0/2012-173टीआर/12-13 लखनऊ:दिनांक30अगस्त, 2013

समस्त उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), उ0प्र0।
समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उ0प्र0।
समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन),उ0प्र0।
समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन),उ0प्र0

विषयः केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 104 के उप नियम (1) के परन्तुक के अनुसार परावर्ती टेप लगाये जाने के सम्बन्ध में।

राष्ट्र में बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 104 में व्यापक संशोधन किया गया है। अधिसूचना संख्या-जीएसआर 784(ई) दिनांक 12.11.2008 के अनुसार समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक व डिजाइन के परावर्ती टेप लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

इसी क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-283(शा0)स0प्रशा0/2010/173टी आर/10 दिनांक 11.10.2010, संख्या-335(शा)सा0प्रशा0/2011 173टीआर/11 दिनांक 10.08.2011 संख्या -89स0प्रशा0/12-173टीआर/10 दिनांक 27.03.2012संख्या-334 स0प्रशा/2012 173टीआर /10-12 दिनांक 10.07.2012, संख्या-709स0 प्रश/2012-173 टीआर / 10-12 दिनांक 22.08.2012, संख्या-708रा0 प्रश/2012 173टीआर/10-12 दिनांक 22.08.2012 संख्या-951सा0प्रश /2012- 173टीआर/10-12 दिनांक 21.11.2012
द्वारा आप सभी को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-जीएसआर 784(ई) दिनांक 12.11.2008 के द्वारा उक्त नियम 104 के उप नियम (1) के परन्तुक में विभिन्न वर्ग के मोटरयानों पर विभिन्न आकार व चौड़ाई के सफेद, लाल व पीले निर्धारित मानकों के परावर्ती टेप चिपकाये जाने के निम्नानुसार प्राविधान किये गये हैं:-

1. दिनांक 01.04.2009 को और उसके पश्चात विनिर्मित 3.5 टन से ऊपर और 7.5 टन से कम के सकलयान भार (जीवीडब्लू) के माल वाहनों पर सामने की ओर एक सफेद परावर्ती टेप और पीछे की ओर लाल परावर्ती टेप वाहन की सम्पूर्ण चौड़ाई पर लगायी जाएगी। टेप की चौड़ाई 20 मि0मी0 से कम नहीं होगी तथा AIS:090-2005 के उपबंध 4, 5, 6, की अपेक्षा के अनुरूप होंगे।

2. दिनांक 01.04.2009 को एवं उसके पश्चात विनिर्मित 7.5 टन सहित और उसके ऊपर सकलयान भार के प्रवर्ग एन 3 और प्रवर्ग एन 2 के यानों पर एक परावर्ती टेप गाड़ी की चौड़ाई के आरपार सामने चिपकायी जाएगी; सामने चिपकायी गयी टेप 50 मि0मी0 चौड़ाई से कम की नहीं होगी तथा AIS:090-2005 के उपबंध 4, 5, 6, की अपेक्षा के अनुरूप होंगे।

3. दिनांक 01.042009 को और उसके पश्चात विनिर्मित ट्रेलरों/अर्द्धट्रेलरों सहित प्रवर्ग एन 3 तथा ट्रेलरों/ अर्द्ध ट्रेलरों सहित 7.5 टन सहित और उससे ऊपर के सकलयान भार वाले प्रवर्ग एन 2 के यानों पर पृष्ठ में और पार्श्व में परावर्ती कॉन्स्पिकुइटी चिन्हांकन AIS:090-2005 के अनुसार चिपकाये जायेंगे।

4. दिनांक 01.04.2009 एवं उसके पश्चात विनिर्मित प्रवर्ग एम 2 और एम 3 के यानों पर सामने सफेद परावर्ती टेप और पृष्ठ में लाल परावर्ती टेप गाड़ी की चौड़ाई के आरपार चिपकायी जाएगी। एम 3 प्रवर्ग यानों के पार्श्व में गाड़ी की लंबाई के आरपार पीली परावर्ती टेप चिपकायी जाएगी। इस प्रकार चिपकायी गयी टेप की चौड़ाई 50 मि0मी0 से कम नहीं होगी और AIS:090-2005 के उपबंध 4, 5, 6, की अपेक्षा के अनुरूप होंगे।

5. उपरोक्त वर्णित प्रकार से लगायी जाने वाली परावर्ती टेप नियम 104 के उप नियम (1) (2) (3)(4)(5) में वर्णित वाहनों पर लगाये गये रिफ्लेक्टर के अतिरिक्त होंगे।

6. [illegible] लगाये जाने वाले सभी टेप AIS:090–2005 के उपखण्ड 4, 5, 6 की अपेक्षा के अनुरूप मानक [illegible] होंगे और केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 126 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट संस्थाओं में से [illegible] की संस्था द्वारा अधिकृत निर्माताओं द्वारा निर्मित होंगे।

अतः केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 104 के उप नियम (1) के प्राविधानों के अनुपालनार्थ समस्त अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :

7. परावर्ती टेप AIS:090–2005 मानक की लगायी जाएगी। टेप निर्माता को उक्त मानक का सत्यापन केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 यथा विनिर्दिष्ट जांच संस्थाओं में से किसी संस्था द्वारा नियम 124(4) के अंतर्गत जारी टाइप एप्रूवल सर्टीफिकेट एवं कन्फर्मिटी आफ प्रोडक्शन सर्टिफिकेट (TAC&COP) के द्वारा किया गया होना चाहिए। संबंधित अधिकारी के मांगे जाने पर डीलर, वितरक को विनिर्दिष्ट संस्था द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. जो भी अधिकृत वितरक / डीलर टेप को लगायेगा उसका व्यापार कर विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। संबंधित अधिकारी समय–समय पर इसे सुनिश्चित करेंगे।

9. वितरक / डीलर द्वारा प्रत्येक वाहन के लिए टेप फिटमेंट सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। फिटमेंट सर्टिफिकेट में व्यापार कर का रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन का पंजीयन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर व वाहन में पर लगायी जाने वाली टेप की लंबाई, चौडाई, रंग आदि का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा।

10. फिटमेंट प्रमाणपत्र की तीन प्रतियां तैयार की जाएगी जिसकी प्रथम प्रति संबंधित परिवहन कार्यालय हेतु, द्वितीय प्रति वाहन के साथ एवं तृतीय प्रति डीलर / वितरक के कार्यालय में रखी जाएगी, फिटनेस प्रमाण पत्र पर वितरक / डीलर का नाम सहित हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा।

11. उपरोक्त निर्देशों के क्रम में परिवहन यानों के पंजीयन, फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी / नवीनीकरण के समय परावर्ती टेप लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी परिवहन यान का पंजीयन, फिटनेस प्रमाण–पत्र / नवीनीकरण बिना परावर्ती टेप लगाये जारी किया जाएगा तो संबंधित पंजीयन अधिकारी / फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

12. परावर्ती टेप का सत्यापन मुख्यालय से टीम भेजकर समय–समय पर कराया जाएगा।

13. सभी उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र) / संभागीय परिवहन अधिकारी अपने भ्रमण के समय रेण्डम रूप से परावर्ती टेप लगाये जाने की जांच करना सुनिश्चित करेंगे।

14. परावर्ती टेप लगाये जाने के संबंध में मुख्यालय स्तर पर मासिक समीक्षा की जाएगी। सभी उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) एवं संभागीय परिवहन अधिकारी अपने स्तर से पाक्षिक समीक्षा करेंगे, समीक्षा हेतु संलग्न प्रारूप में सूचना सभी संभागीय परिवहन अधिकारी अपने प्रत्येक उप संभाग के संबंध में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

[illegible]

(रजनीश गुप्ता)
परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

प0सं0 298 (1) / प्रवर्तन0 / 13–सम्बन्धित दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को–

1. अपर परिवहन आयुक्त(प्रवर्तन), उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अपर परिवहन आयुक्त(सड़क सुरक्षा), उ0प्र0 को इस आशय से कि उपरोक्त संकलित सूचना मासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करें।
3. संयुक्त परिवहन आयुक्त(प्रशासन), उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि मासिक समीक्षा बैठक में इस बिन्दु को सम्मिलित करें।

(वी0के0 ओझा)
अपर परिवहन आयुक्त(राजस्व)
उत्तर प्रदेश।